

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 191/2023

अनवान : -

1. कालूराम पुत्र मांगेराम जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी भादरा जिला हनुमानगढ़।

:-वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र गोपाल जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. लीलूराम पुत्र मांगेराम जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री मांगेराम पत्नी रणजीत जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. सन्तरों पुत्री मांगेराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. गीता पुत्री मांगेराम पत्नी मोहन जाति छिम्पा निवासी गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी अग्रोहा मोड तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एसडीआर के खाता सं० 71/62 के मु० न० 29 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल 1.518है०, जिसमें से नहरी 1.468है०, गै० मु० खाला 0.050है० प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 69/71 के मु० न० 52 के किला न० किला न० 25/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० 21 की 0.253है० नहरी, मु० न० 58 के किला न० 1/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 4/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 5/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6, 7, 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल रकबा 2.7320है० जिसमें नहरी 2.6680है०, गै० मु० खाला 0.025है०, गै० मु० रास्ता 0.039है० में प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम से 1025/2732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी कालूराम, प्रतिवादी सं० 2 लीलूराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दस्तावेज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 191/2023

अनवान :-

1. कालूराम पुत्र मांगेराम जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी भादरा जिला हनुमानगढ़। :-वादी

**बनाम**

1. मांगेराम पुत्र गोपाल जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी तहसील भादरा।
2. लीलूराम पुत्र मांगेराम जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री मांगेराम पत्नी रणजीत जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी तहसील भादरा हाल निवारी बांय तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. सन्तारों पुत्री मांगेराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी तहसील भादरा हाल निवारी बांय तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. गीता पुत्री मांगेराम पत्नी मोहन जाति छिम्पा निवारी गांधीवडी तहसील भादरा हाल निवारी अग्रोहा मोड तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र सिंहाग वादी  
श्री लीलाधर अग्रवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: ५/३/२५

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 एसडीआर के खाता सं० 71/62 के मु० न० 29 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल 1.518है०, जिसमें से नहरी 1.468है०, गै० मु० खाला 0.050है० प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 69/71 के मु० न० 52 के किला न० किला न० 25/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० 21 की 0.253है० नहरी, मु० न० 58 के किला न० 1/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 4/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 5/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6, 7, 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल रकबा 2.7320है० जिसमें नहरी 2.6680है०, गै० मु० खाला 0.025है०, गै० मु० रास्ता 0.039है० में प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम से 1025/2732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

4  
अधिकारी (राजस्व)  
जिला-हनुमानगढ़

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जग्गे सम्मन कराया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहरा वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दोराने बहरा वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मोजा 1 एसडीआर व 2 एसडीआर वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहरा पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 1 एसडीआर के खाता सं० 71/62 के मु० न० 29 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल 1.518है०, जिसमें से नहरी 1.468है०, गै० मु० खाला 0.050है० प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 69/71 के मु० न० 52 के किला न० किला न० 25/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० 21 की 0.253है० नहरी, मु० न० 58 के किला न० 1/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 10, 11 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 4/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 5/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6, 7, 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल रकबा 2.7320है० जिसमें नहरी 2.6680है०, गै० मु० खाला 0.025है०, गै० मु० रास्ता 0.039है० में प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम से 1025/2732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 3 ता 5 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की। प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम रोही चक 1 एसडीआर के खाता सं० 110/67 के मु० न० 19 की 1.518है० यथावत रखी जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 1 एसडीआर के खाता सं० 71/62 के मु० न० 29 के किला न० 3/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8, 9, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, कुल 1.518है०, जिसमें से नहरी 1.468है०, गै० मु० खाला 0.050है० प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम व रोही मोजा चक 2 एसडीआर के खाता सं० 69/71 के मु० न० 52 के किला न० किला न० 25/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 25/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 53 के किला न० 21 की 0.253है० नहरी, मु० न० 58 के किला न० 1/1 की 0.240है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 10, 11 प्रत्येक किला की 0.

जी.ए.सी. (राजस्व)  
सहायक

253 है० नहरी, मु० न० 59 के किला न० 4/1 की 0.240 है० नहरी, किला न० 4/2 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 5/1 की 0.240 है० नहरी, किला न० 5/2 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 6, 7, 14, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी, कुल रक्या 2.7320 है० जिसमें नहरी 2.6680 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०, गै० मु० रास्ता 0.039 है० में प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम के नाम से 1025/2732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 मांगेराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी कालूराम, प्रतिवादी सं० 2 लीलूराम को यहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चुंकि प्रतिवादी सं० 1 व 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...4.3.25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवराम)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
R.A.S